

लोक शिक्षण संचालनालय

मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्था.2/सी/व्या./स्था./94/09/ 172

भोपाल,दिनांक 10/2/10

//आदेश//


संचालनालय लोक शिक्षण द्वारा निम्नांकित व्याख्याता का स्थानान्तरण समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख कॉलम क्रमांक 6 में अंकित संस्था में तत्काल प्रभाव से किया जाता है।

2/ यह पदस्थापना स्वेच्छा से स्वयं के व्यय पर होने से इन्हें किसी प्रकार के यात्रा भत्ते इत्यादि की पात्रता नहीं होगी।

स. क.	नाम	यूनिक आई.डी. क्रमांक	वर्तमान संस्था तथा जिले का नाम	संस्था/जिले का डाईस कोड	स्थानांतरित संस्था/जिले का नाम	संस्था/जिले का डाईस कोड
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्रीमती रागिनी नरवरिया (जीव विज्ञान)	AB 8110	शास.उत्कृ.उ.मा.वि मझौली जिला जबलपुर	23390377701	शास.उ.मा.वि. गांधीग्राम जबलपुर जिला जबलपुर	23390777709
2.	श्रीमती रश्मि खरे (रसायन)	BJ 8055	शास.उ.मा.वि. बरगी नगर जबलपुर	23390177704	शास.उ.मा.वि.गढा जबलपुर जिला जबलपुर	23390777705
3.	श्री सीताराम सोलंकी (राजनिति)	AP 1446	शास.बा.उ.मा.वि. हरसुद जिला खण्डवा	23290477701	शास.बा.उ.मा.वि. बालसमूद जिला खरगोन	23271277703

उक्त आदेश दिनांक 1.4.2010 से प्रभावशील माना जाएगा।

"प्रशासकीय अनुमोदन अनुसार"


आयुक्त

लोक शिक्षण म.प्र.

भोपाल,दिनांक 10/2/10

पृष्ठा क्रमांक/स्था.2/सी/व्या./स्था./94/09/ 173

प्रतिलिपि-

1. निज सहायक मान. मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र.शासन मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. कलेक्टर जिला जबलपुर/खण्डवा/खरगोन म.प्र.।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला जबलपुर/ खण्डवा /खरगोन।
5. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभागीय कार्यालय जबलपुर /भोपाल।
6. जिला कोषालय अधिकारी जिला जबलपुर/खण्डवा/खरगोन।
7. जिला शिक्षा अधिकारी जबलपुर/खण्डवा/खरगोन। म.प्र. की ओर अग्रप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित व्याख्याता को कार्यमुक्त करने के पूर्व सेवा अभिलेख से यह पुष्टि कर लें, कि स्थानान्तरित व्याख्याता वर्तमान में सेवारत है एवं स्कूल शिक्षा विभाग के व्याख्याता है तथा स्थानान्तरित संस्था में विषयमान से संबंधित व्याख्याता का पद रिक्त है, पूर्ण रूप से आश्वस्त होने पर ही संबंधित को एक सप्ताह में कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जाये। यदि संबंधित व्याख्याता के संबंध में किसी प्रकार की गलत एवं विपरीत जानकारी प्रकाश में आती है तो आदेश का पालन न करते हुये वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अवगत करावे। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण उत्तरदायी होंगे। आदेश के क्रियान्वयन संबंधी पालन प्रतिवेदन 15 दिवस में अनिवार्य रूप से संचालनालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करे।
8. संबंधित प्राचार्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. संबंधित की ओर सूचनार्थ।


आयुक्त

लोक शिक्षण म.प्र.

लोक शिक्षण संचालनालय

मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्था.2/सी/व्या./स्था./94/09/ 174

भोपाल, दिनांक 10/2/10

//आदेश//

म.प्र.शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 13-12/09/20-1, दिनांक 18.8.09 के सरल क्रमांक-1 पर अंकित श्रीमती स्वाती दवंडे व्याख्याता (भौतिकी) शास.म.ल.बा.उ.मा.वि. औबेदुल्लागंज रायसेन से शास.बा.उ.मा.वि.बैरागढ भोपाल स्थानांतरण किया गया है। उक्त आदेश मे आंशिक संशोधन करते हुये इनकी नवीन पदस्थापना शास.बा.उ.मा.वि.बैरागढ भोपाल के स्थान पर शास.कमला नेहरू क.उ.मा. वि. टी.टी. नगर भोपाल पढा जावे। यह आदेश दिनांक 1.4.2010 से प्रभावशील माना जावेगा।

शेष आदेश यथावत रहेगा।

“प्रशासकीय अनुमोदन अनुसार”


आयुक्त

लोक शिक्षण म.प्र.

भोपाल, दिनांक 10/2/10

पृष्ठा.क्रमांक/स्था.2/सी/व्या./स्था./94/09/ 175

प्रतिलिपि-

1. निज सहायक मान. मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र.शासन मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. कलेक्टर जिला भोपाल/रायसेन म.प्र.
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला भोपाल/रायसेन म.प्र.
5. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभागीय कार्यालय भोपाल।
6. जिला कोषालय अधिकारी जिला भोपाल/रायसेन म.प्र.
7. जिला शिक्षा अधिकारी भोपाल/रायसेन म.प्र. की ओर अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित व्याख्याता को कार्यमुक्त करने के पूर्व सेवा अभिलेख से यह पुष्टि कर लें, कि स्थानान्तरित व्याख्याता वर्तमान में सेवारत है एवं स्कूल शिक्षा विभाग के व्याख्याता है तथा स्थानान्तरित संस्था में विषयमान से संबंधित व्याख्याता का पद रिक्त है, पूर्ण रूप से आश्वस्त होने पर ही संबंधित को एक सप्ताह में कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जाये। यदि संबंधित व्याख्याता के संबंध में किसी प्रकार की गलत एवं विपरीत जानकारी प्रकाश में आती है तो आदेश का पालन न करते हुये वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अवगत करावे। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण उत्तरदायी होंगे। आदेश के क्रियान्वयन संबंधी पालन प्रतिवेदन 15 दिवस में अनिवार्य रूप से संचालनालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करे।
8. संबंधित प्राचार्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. संबंधित की ओर सूचनार्थ।


आयुक्त,

लोक शिक्षण म.प्र.

e

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

कमांक/स्था.2/सी/व्या./स्था./03/10/ 170

भोपाल,दिनांक 10/2/10

//आदेश//

संचालनालय लोक शिक्षण द्वारा निम्नांकित व्याख्याता का स्थानान्तरण समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख कॉलम कमांक 6 में अंकित संस्था में तत्काल प्रभाव से किया जाता है।
2/ यह पदस्थापना स्वेच्छा से स्वयं के व्यय पर होने से इन्हें किसी प्रकार के यात्रा भत्ते इत्यादि की पात्रता नहीं होगी।

स. क.	नाम	यूनिक आई.डी. क्रमांक	वर्तमान संस्था तथा जिले का नाम	संस्था/जिले का डाईस कोड	स्थानांतरित संस्था/जिले का नाम	संस्था/जिले का डाईस कोड
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री भरतलाल पाण्डेय(संस्कृत)	अप्राप्त	शास.उ.मा.वि. निपनिया जिला शहडोल	23160277708	शास.उ.मा.वि. हनुमानगढ जिला सीधी	23179977725

उक्त आदेश दिनांक 14.2.2010 से प्रभावशील माना जावेगा।



आयुक्त
लोक शिक्षण म.प्र.

भोपाल,दिनांक 10/2/10

पृष्ठा.कमांक/स्था.2/सी/व्या./स्था./02/10/ 171
प्रतिलिपि-

1. निज सहायक मान. मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र.शासन मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. कलेक्टर जिला शहडोल/सीधी
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंधातयत जिला शहडोल/सीधी।
5. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभागीय कार्यालय सीवा।
6. जिला कोषालय अधिकारी जिला शहडोल/सीधी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी शहडोल/सीधी म.प्र. की ओर अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित व्याख्याता को कार्यमुक्त करने के पूर्व सेवा अभिलेख से यह पुष्टि कर लें, कि स्थानान्तरित व्याख्याता वर्तमान में सेवारत है एवं स्कूल शिक्षा विभाग के व्याख्याता है तथा स्थानान्तरित संस्था में विषयमान से संबंधित व्याख्याता का पद रिक्त है, पूर्ण रूप से आरवस्त होने पर ही संबंधित को एक सप्ताह में कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जाये। यदि संबंधित व्याख्याता के संबंध में किसी प्रकार की गलत एवं विपरीत जानकारी प्रकाश में आती है तो आदेश का पालन न करते हुये वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अवगत कराया। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण उत्तरदायी होंगे। आदेश के क्रियान्वयन संबंधी पालन प्रतिवेदन 15 दिवस में अनिवार्य रूप से संचालनालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करे।।
8. संबंधित प्राचार्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. संबंधित की ओर सूचनार्थ।



आयुक्त,
लोक शिक्षण म.प्र.